

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-385)/2019/113

दिनांक : 20/02/18

आदेश

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10408/2015 श्री नन्दकिशोर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2018 की पालना में निदेशालय के सम संख्यक आदेश क्रमांक 398 दिनांक 31.10.2015 के क्रम में श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री भगवान दास बैष्णव को मजहर हुसैन शेख के प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यग्रहण तिथि 16.12.2015 से सेवा की गणना कर राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 15.12.2017 को परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि 16.12.2017 से प्रयोगशाला सहायक पद की पै मैट्रिक्स एल 5 में न्यूनतम वेतन रूपये 20800 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त पै मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण पश्चात वेतन/भत्तों का वास्तविक लाभ श्री नन्दकिशोर द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यग्रहण तिथि 26.07.2018 से देय होंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राजस्थान जयपुर

दिनांक 20/02/18

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-385)/2019/113

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जोन-जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूनी (जोधपुर)।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. श्री नन्दकिशोर, प्रयोगशाला सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये,
राजस्थान जयपुर